न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव** (आई0ए0एस0)
वाद सं0 : 500 सन 2024
अनवान :—

1. खेताराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 08/01/2026

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 जिसके खेताराम वल्द इन्द्राज जाति जाट साकिन मुन्सरी खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम की कुल 2.510हैक भूमि में से 6.03 बीधा भूमि डीएलसी दर पर एव 3.17 बीधा भूमि स्माल पेच में आवंटन की गई थी जिसकी सम्पूर्ण राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है।

वाद भूमि वादी को आवंटनशुद्वा भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही थी किन्तु राजस्व विभाग के द्वारा जमाबन्दीया तेयार करते समय वादी को आवंटन की गई भूमि के साथ अन्य भूमियों को जमाबन्दी में दर्ज नही किया गया अर्थात वादी को आवटन की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नही किया गया था।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के आदेशानुसार उक्त रकबा तहसील नोहर में जोडा गया था उक्त रकबा पूर्व में तहसील भादरा में शामिल किया गया था वहा से कम किया जाकर तहसील नोहर में जोडा गया था तथा उक्त रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जाकर वादी को आवंटन की गई भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक भूमि वादी खेताराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट को आवटनशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि थी जिसे उनके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जानी चाहिये थी जबकि उक्त भूमि को सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दिया जिससे आवंटी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ के आदेश अनुसार तहसील भादरा से रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530हैक भूमि तहसील नोहर में शामिल की गई थी जो वादीगण की आंवटनशुद्वा भूमि [illegible] हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार दर्ज करनी चाहिये थी [illegible] दर्ज कर दी जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन [illegible] खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:30 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मरतबा कहा की वादी की आवंटनशुद्वा भूमि को वादी के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Rahul.

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की गई साक्ष्यवादी में वादी ने शपथ पत्र पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530हैक भूमि वादी को आवटनशुद्वा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिसे राजस्व रिकार्ड में किसी भी जमाबन्दी में दर्ज नही करने के कारण वादी को आवंटनशुद्वा भूमि मिसिग भूमि हो गई जो किसी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई थी

तत्पश्चात श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के द्वारा उक्त रकबा को तहसील भादरा से कम किया जाकर तहसील नोहर में शामिल किया गया जिसकी पालना में उक्त भूमि को तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज किया जाकर आवटीयो/खरीददारों के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया जबकि तहसील भादरा से रकबा कम कर तहसील नोहर में सम्बधित खातेदार के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया जाकर अराजीराज दर्ज कर दिया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी आवटन की गई भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक भूमि में वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक का रकबा पूर्व में तहसील भादरा की जमाबन्दी में अराजीराज दर्ज था श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा उक्त भूमि वादी खेताराम वल्द इन्द्राज जाति जाट साकिन मुन्सरी को किमतन आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवटन आदेश एव सैल रजिस्टर के अनुसार पूर्णत्या साबित है

तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट टीआरए/2023/368 दिनांक 12.12.2023 के अनुसार वादी खेताराम वल्द इन्द्राज को रोही मौजा चक 5 जीजीएम के मु0न0 55 के किला न0 11 ता 20 की कुल 10.00 बीधा भूमि उपखण्ड [illegible] नोहर के द्वारा किमतन आवंटन की गइ थी आवंटन की गई भूमि की [illegible] द्वारा जमा करवाई जा चुकी है वादी वाद भूमि का आवटी है अर्थात वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की आंवटनशुद्वा भूमि है जिसे वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:30 IST
Reason: SelfAttested

आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530

,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक्ट भूमि को तहसील भादरा की जमाबन्दीयों में दर्ज नही किया गया ना ही तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज किया गया अर्थात उक्त रकबा जमाबन्दीयों से मिसिग हो गया।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने मिसिग रकबा का संक्षान होने पर विस्तृत जांच तहसीलदार भादरा एव तहसीलदार नोहर एव सम्बधित पटवारीयान से करवाई जाने के उपरान्त आदेश एफ 9(14)(3) सर्तकता/मुन्सरी/भू0अ0/06/264–269 दिनांक 21.01.2006 को विस्तृत आदेश पारित किया गया की प्रश्नाकित 98 बीधा मिसिग रकबा जो उपनिवेशन विभाग के समय से ही मिसिग रकबा रहा हे ग्राम गोगामेडी तहसील नोहर के खसरा न0 22/17 से पैमुद हुआ है जो तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम के प0न0 410/468 ,411/468 ,412/468 व चक 6 जीजीएम के प0न0 406/468 में कुल 98.00 बीधा रकबा तहसील भादरा के राजस्व अभिलेख में दर्ज न होते हुए भी तहसील भादरा द्वारा मिलान खसरा में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ 98 बीधा अलग से जोडकर आकडे पेश किये जाते रहे है जिससे प्रश्नाकित रकबा 98 बीधा मिसिग रकबा कुल भौगोलिक क्षेत्र के साथ दर्शाया गया है अतः 98 बीधा भूमि को दोनो चकों की जमाबन्दीयों एवं नक्शों को उक्त भूमि को शामिल करते हुए संशोधित किया जावे तथा भविष्य में तहसील भादरा के वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र में 98 बीधा अलग से जोडना न दर्शाया जावे तहसीलदार नोहर इस प्रश्नाकित 98 बीध मिसिग रकबा को उक्त दोनो चकों में शामिल करते भौगोलिक क्षेत्र 98 बीधा अधिक दर्ज किया जावे।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ ने उक्त आदेश के द्वारा मिसिग रकबा जो ना तो तहसील भादरा की जमाबन्दीयों में दर्ज था ना ही तहसील नोहर की जमाबन्दीयों में दर्ज था उक्त मिसिग रकबा को तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम , चक 6 जीजीएम के प0न0 में शामिल करते हुए जमाबन्दीयों में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530हैक्ट भूमि वादी को आवंटनशुद्वा भूमि थी जिसका नामान्तकरण भी दर्ज आवंटी के पक्ष में हो गया था किन्तु आगामी जमाबन्दीयों में आंवटनशुद्वा भूमि किसी भी जमाबन्दी में दर्ज नही की गई थी।

रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक्ट भूमि वादी को आवंटनशुद्वा भूमि मिसिग रकबा की श्रेणी में आने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश दिये गये थे में वादी को आवंटनशुद्वा रकबा शामिल है जिसे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के आदेशानुसार तहसील नोहर के चक 5 जीजीएम की जमाबन्दी में तो शामिल कर लिया गया किन्तु वादी के नाम दर्ज करने के स्थान पर अराजीराज दर्ज कर दिया जो न्यायोचित नही है

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, हनुमानगढ द्वारा मिसिग रकबा को तहसील नोहर के सम्बधित चकों के सम्बधित प0न0 में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे यह अंकित नही किया गया था की सम्बधित काश्तकारों के स्थान पर अराजीराज दर्ज किया जावे जबकि जमाबन्दी से मिसिग रकबा को शामिल करने के आदेश दिये गये थे अर्थात जो रकबा जिसके कब्जा काश्त में एवं जमाबन्दी से मिसिग होने से पूर्व जिसके नाम दर्ज था के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक्ट भूमि वादी आवंटी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रकबा मिसिग होने के कारण वादी के नाम दर्ज नही हो सका था वाद भूमि जो वादी को आंवटनशुद्वा भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है मिसिग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:30 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

रकबा जो तहसील नोहर में दर्ज किया गया है वादी को आवंटनशुद्वा भूमि है जिसे वादी के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना उचित हैं।

उक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक्‍ भूमि वादी को आवंटनशुद्वा भूमि जो किसी भी तहसील की जमाबन्दीयों में दर्ज नही हुआ अर्थात रकबा मिसिग रकबा की श्रेणी में आ गया जिसके सम्बध मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में तहसीलदार नोहर ने मिसिग रकबा को तहसील नोहर में शामिल कर अराजीराज दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार नोहर को दायित्व था कि जो रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जा रहा है पर काबिज व्यक्तियों को सुना जाकर एव साक्ष्य सबुत लिये जाकर रकबा सम्बधित काश्तकार के नाम तहसील नोहर की जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिये था वादी वाद भूमि का आवंटी था और मौके पर काबिज चले आ रहे है जिनका रकबा तहसील नोहर में शामिल किया जाकर आवंटन के अनुसार वादी के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था आवंटनशुद्वा भूमि जिसे पर वादी काबिज भी हे को अराजीराज दर्ज किया जाना उचित नही है वादी अपने हकों की धोषणा करवाकर आवटन आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतो एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के आदेश /निर्णय की पालना में साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक्‍ भूमि में वादी को आवंटनशुद्वा भूमि है का गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादी खेताराम वल्द इन्द्राज जाति जाट साकिन मुन्सरी तहसील भादारा को रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 178/177 के प0न0 410/468(162/8) के किला न0 11/0.253 ,12/.2530 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530, 20/.2530 हैक्‍ भूमि दिनांक 02.08.1978 को आवंटन की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज भूमियों को आसामीयो के नाम दर्ज करने से पूर्व जिला मुख्यालय पर एक कमेटी का गठन किया गया है जिससे अनुमोदन होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा सकता है।

अतः मुल पत्रावली मय निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ को विधि परिक्षण/कमेटी के अनुमोदन हेतु भिजवाया जावे निर्णय की आगामी कार्यवाही अनुमोदन उपरान्त ही सम्पादित की जावेगी।

व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:30 IST
Reason: SelfAttested